

अज अदालत ..... सिकराय .....  
सरकार बनाम ..... सि. नं. 111/19  
किस्म मुकदमा ..... गु. नं. 138/19

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो हुकम की तारीख में जारी हुए
<p>22 <sup>03</sup>/<sub>19</sub></p>	<p>1/11 प्रिन्सिपल जज सि. नं. 111/19 के द्वारा हुकम जारी किया गया। इसमें प्रिन्सिपल जज सरकार अहकामों की तारीख की जांच प्रस्तावों के 8-5-19 के साथ की।</p> <p style="text-align: center;">[Signature] सि. नं. 111/19</p> <p>पत्रावली पैसा हुई पैरोकार सरकार उपस्थित। पैरोकार सरकार को सुना गया। पत्रावली की अवलोकन किया। ज. ए. ए. की मंजूर किया। सहभागी के द्वारा उपस्थित होकर सहभागी पत्र प्रस्तुत किया गया। मुलाक़िद सहभागी पत्र अनुसार हुकमीकरण का निवेदन किया गया। सहभागी पत्र पर पढ़ाकार, पठवादी, भूअभिलेख निरीक्षक व तहसीलदार सिकराय की रिपोर्ट भी पत्रावली पर उपलब्ध है जिसपर भी हुकमीकरण का निवेदन किया।</p> <p>ऐसी स्थिति में मुलाक़िद सहभागी पत्र हुकमीकरण दिने जाने योग्य है एवं सहभागी पत्र दिनांक 20.3.19 भी निर्णय व डिग्री का भाग रहेगा।</p> <p>अतः दावावादी स्वीकार किया जाता है तथा विवादित भूमी खसरा नं. 762, 763, 1621, 1622, 1625, 1628, 1630, 1631 कुल अंतरा 9 कुल रकबा 2.0700 हेक्टर वाले रामा भानपुर तहसील सिकराय के राजनिरीक्षक में सहभागी दिनांक 20.3.19 के मुलाक़िद हुकमीकरण के आदेश तहसीलदार सिकराय को दिने जाते हैं। निर्णय में बारा लिखा जाकर खुले-पामल में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">[Signature] उपस्थित अधिकारी सिकराय सि. नं. 111/19</p>	